

**राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

नगरीय भूमियों का सर्वेक्षण करने और अभिलेख संधारित करने और उनके हक का प्रमाणन करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह राज्य के ऐसे नगरीय क्षेत्रों में और ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

**2. अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा.-** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

**3. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "आबादी", "आबादी क्षेत्र" या "आबादी भूमि" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के खण्ड (ख) में इस रूप में परिभाषित कोई क्षेत्र या भूमि अभिप्रेत है;

(ii) "कृषि" से राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 5 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित कृषि अभिप्रेत है;

- (iii) "प्रमाणपत्र" से धारा 25 के अधीन प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी हक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (iv) "प्रमाणन प्राधिकारी" से धारा 21 के अधीन नियुक्त नगरीय भूमि हक प्रमाणन प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (v) "सी.एल.ई.ए.आर." से ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, स्थापित और संधारित इलैक्ट्रॉनिक डाटा भण्डारण की केन्द्रीय प्रणाली 'राजस्थान कम्प्यूटरीकृत भू-मूल्यांकन और अभिलेखों का प्रबंध (सी.एल.ई.ए.आर.)' अभिप्रेत है;
- (vi) "डी.एल.सी. दरों" से लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उदगृहित करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर अवधारित दरें अभिप्रेत हैं;
- (vii) "कपट" का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) की धारा 17 में समनुदेशित किया गया है;
- (viii) "लिखत" का वही अर्थ होगा जो उसे संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) की धारा 3 में समनुदेशित किया गया है;
- (ix) "भूमि" से वह भूमि अभिप्रेत है जो कृषिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गयी या धारित नहीं है;
- (x) "दुर्व्यपदेशन" का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) की धारा 18 के अधीन समनुदेशित किया गया है;
- (xi) "परिसर" से इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये किसी अभिलेख या पहले से विद्यमान किसी अन्य अभिलेख में इस रूप में वर्णित कोई भूमि या भवन अभिप्रेत है;

- (xii) "सर्वेक्षण" में सीमाओं की पहचान और सर्वेक्षण के पूर्ववर्ती या उससे संसक्त अन्य समस्त संक्रियाएं सम्मिलित हैं;
- (xiii) "हक धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि के अनुसार नगरीय भूमि का हक धारण करता है और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है;
- (xiv) "अधिकरण" से धारा 34 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;
- (xv) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है-
- (i) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित किसी नगरपालिका का क्षेत्र;
  - (ii) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन क्षेत्र;
  - (iii) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित "जयपुर रीजन" के भीतर का क्षेत्र;
  - (iv) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित "जोधपुर रीजन" के भीतर का क्षेत्र;
  - (v) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित "अजमेर रीजन" के भीतर का क्षेत्र; और
  - (vi) खण्ड (xvi) के उप-खण्ड (vii) के अधीन नगरीय निकाय के रूप में घोषित किसी निकाय या प्राधिकरण का क्षेत्र;

- (xvi) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है-
- (i) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका;
  - (ii) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास;
  - (iii) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण;
  - (iv) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण;
  - (v) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) के अधीन गठित अजमेर विकास प्राधिकरण;
  - (vi) राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4) के अधीन गठित राजस्थान आवासन बोर्ड; और
  - (vii) कोई अन्य निकाय या प्राधिकरण जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकाय के रूप में अधिसूचित किया जाये; और
- (xvii) "नगरीय भूमि" से कृषि भूमि को छोड़कर किसी नगरीय निकाय के नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

सर्वेक्षण और अभिलेख का संधारण

**4. नगरीय क्षेत्रों में भूमि और परिसरों का सर्वेक्षण.-** (1) राज्य सरकार, जब कभी ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश दे

सकेगी कि राज्य या उसके किसी भाग के भीतर किसी नगरीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जायेगा और तदुपरान्त ऐसा नगरीय क्षेत्र या, यथास्थिति, उसका भाग सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार, उसी या किसी पश्चात्पूर्ती अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कोई नगरीय निकाय जो ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग पर अधिकारिता रखता है इस प्रकार आदिष्ट सर्वेक्षण का प्रभारी होगा।

(3) ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी नगरीय निकाय उसके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसाकि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) जहां कोई भी नगरीय निकाय उप-धारा (1) में आदिष्ट किसी सर्वेक्षण का प्रभारी होने के लिए निदेशित नहीं किया जाता है, वहां इस प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी होगा और जहां ऐसा कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां उस जिले का कलक्टर ऐसे सर्वेक्षण का प्रभारी होगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन आदिष्ट सर्वेक्षण, ऐसे अधिकारियों और सेवकों द्वारा, विहित रीति से, किया जायेगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ऐसी नियुक्ति के पश्चात् ऐसे अधिकारी और सेवक सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी और सेवक होंगे।

(6) राज्य सरकार इतने अतिरिक्त अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगी जितने उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सहायता करने के लिए वह आवश्यक समझे और इस उप-धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

**5. भूमि पर प्रवेश.-** सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सर्वेक्षणाधीन नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर किसी भूमि या परिसर में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय में, या तो स्वयं के द्वारा या सर्वेक्षण में नियोजित अन्य अधिकारियों या सेवकों द्वारा प्रवेश करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी भूमि या परिसर में ऐसे

प्रवेश या की गयी किसी बात के कारण किसी भी विधिक कार्यवाही, जो कोई भी हो, के प्रति दायी नहीं होगा:

परन्तु कोई भी ऐसा प्रवेश, ऐसी किसी भूमि या परिसर पर, जो किसी भी समय अधिभुक्त हो, उसके अधिभोगी की सहमति के बिना, या उक्त अधिभोगी को ऐसा करने के आशय का चौबीस घंटे का पूर्व नोटिस दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

**6. सर्वेक्षण का नोटिस.-** सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि या परिसर में प्रवेश करने से पूर्व सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी, सर्वेक्षण की जाने वाली भूमि या परिसर के स्वामी या अधिभोगी पर और सह विस्तारी भूमियों या परिसर के स्वामियों या अधिभोगियों पर अपने हस्ताक्षरों से लिखित नोटिस तामील करायेगा जिसमें उनसे ऐसी भूमि या परिसर पर या तो व्यक्तिशः या किसी प्राधिकृत एजेंट द्वारा उसके समक्ष या ऐसे अधिकारी के समक्ष जो उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर (जो ऐसे नोटिस की तामील के पश्चात् से तीन दिवस से कम नहीं होगा) सीमाओं को इंगित करने और ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया जाये, उस नोटिस द्वारा अपेक्षितानुसार उपस्थित होने और ऐसी कोई भी सूचना, जो अपेक्षित हो, जहां तक वह देने के लिए समर्थ हो, देने के लिए बाध्य होगा।

**7. धारा 6 के अधीन नोटिस की तामील के पश्चात् सर्वेक्षण किया जा सकेगा.-** धारा 6 के अधीन नोटिस की सम्यक् तामील के पश्चात्,-

- (i) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या सेवक सर्वेक्षण कर सकेगा चाहे वे व्यक्ति, जिन पर ऐसे नोटिस की तामील की गयी है, उपस्थित हों या न हों; और
- (ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त नोटिस द्वारा अपेक्षितानुसार उपसंजात होने या उपस्थित रहने में

विफल रहता है, सर्वेक्षण के परिणामों से उसी रीति से और उसी सीमा तक आबद्ध होगा मानो सर्वेक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया हो।

**8. सर्वेक्षण का नक्शा और रजिस्टर.-** (1) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी सर्वेक्षणाधीन नगरीय क्षेत्र या उसके भाग का नक्शा, रजिस्टर और फील्ड बुक तैयार करेगा।

(2) ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग की भूमियों और परिसरों को नक्शे पर दर्शाया जायेगा और भूमि के प्रत्येक टुकड़े को दिये जाने वाले उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक को, विहित रीति से, पृथक् रूप से दर्शाया जायेगा।

(3) सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी, सर्वेक्षणाधीन नगरीय क्षेत्र या उसके भाग के लिए उसमें की समस्त भूमियों और परिसरों, जिनका सर्वेक्षण किया गया है, का रजिस्टर भी तैयार करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में, उप-धारा (2) के अधीन दिये गये प्रत्येक उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक के संबंध में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जो सर्वेक्षण के समय उसके स्वामी या हित रखने वाले व्यक्ति के रूप में उपसंजात हों और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जायें, विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

**9. सीमा चिहनों का परिनिर्माण.-** सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी किसी भूमि पर, जिसका इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण किया जाना है या किया गया है, ऐसी सामग्री के और ऐसी संख्या में तथा रीति से, जिसे वह सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होना अवधारित करे, किसी भी समय अस्थायी या स्थायी सीमा चिहनों का परिनिर्माण करा सकेगा।

**10. अस्थायी सीमा चिहनों का संधारण.-** (1) जब धारा 9 के अधीन किसी अस्थायी सीमा चिह्न का परिनिर्माण कर दिया गया हो तब सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी उस भूमि या परिसर जिस पर, या जिसके पार्श्व में, ऐसा सीमा चिह्न स्थित है, के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे सीमा चिह्न को सर्वेक्षण पूरा होने तक संधारित और मरम्मतशुदा रखने की अपेक्षा करते हुए उस पर एक नोटिस तामील करवा सकेगा।

(2) जहां ऐसा स्वामी या अधिभोगी ऐसे नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, वहां सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी उस सीमा चिह्न की

मरम्मत कर सकेगा और ऐसा करने में उपगत व्यय ऐसे स्वामी या अधिभोगी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

**11. सीमाओं के बारे में विवाद.-** (1) इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण के दौरान, यदि सर्वेक्षण की जाने वाली किसी भूमि या परिसर की सीमाओं के बारे में किसी विवाद का विद्यमान होना पाया जाये तो ऐसे विवाद के अवधारण के प्रयोजन के लिए इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी संबंधित पक्षकारों पर, उसके समक्ष स्वयं या प्राधिकृत एजेंट के द्वारा विनिर्दिष्ट दिवस को उपसंजात होने और विवादित भूमि या परिसर के कब्जे के साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा करते हुए अपने हस्ताक्षरों से लिखित नोटिस तामील करवायेगा।

(3) विनिर्दिष्ट दिवस को या ऐसे अन्य दिवस को, जिस तक सुनवाई स्थगित की जाये, उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा क्रमशः पेश किये गये साक्ष्य को प्राप्त करेगा, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा और साक्ष्य लेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के विवादित भूमि या परिसर पर कब्जा रखने के अधिकार के दावे के गुणागुण के प्रति निर्देश के बिना यह विनिश्चित करेगा कि सर्वेक्षण के समय उक्त भूमि या परिसर पर किस पक्षकार का कब्जा है।

(4) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को जांच के प्रयोजन के लिए उन्हीं साधनों और उसी रीति से समन करने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय के मामले में उपबन्धित है।

(5) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, जांच पूरी कर लिये जाने के पश्चात् विवाद के विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए और अपना विनिश्चय अभिलिखित करते हुए और ऐसे विनिश्चय के कारण स्पष्ट रूप से समनुदेशित करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिकरण में होगी और ऐसी अपील ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर की जा सकेगी।

**12. सर्वेक्षण का अभिलेख संबंधित नगरीय निकाय या प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग को भेजा जाना.-** (1) किसी नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण संकर्म पूर्ण होने के पश्चात् सर्वेक्षण का प्रभारी अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, समस्त नक्शे, रजिस्टर और ऐसी पत्रावलियों, जिन पर विनिश्चय अभिलिखित किये गये थे, सहित अन्य दस्तावेज और सर्वेक्षण से संबंधित अन्य कागज-पत्र ऐसे नगरीय निकाय को, जिसके स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था या ऐसे प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग को, जैसाकि राज्य सरकार सर्वेक्षण के अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भेजेगा।

(2) यदि सर्वेक्षण से राज्य सरकार का समाधान हो जाये और वह उसका अनुमोदन कर दे तो ऐसे समाधान और अनुमोदन का तथ्य राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

**13. अभिलेखों का संधारण.-** (1) ऐसे समस्त नक्शों, रजिस्ट्रों और अन्य संबद्ध पत्रावलियों और अन्य कागज-पत्रों सहित अन्य दस्तावेजों को, जो सर्वेक्षण संकर्मों का भाग थे और संबंधित नगरीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग के पास जमा कराये जाते हैं, ऐसे निकाय, प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और उन्हें ऐसे निकाय, प्राधिकारी या विभाग द्वारा, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संधारित किया जायेगा।

(2) नगरीय निकाय, कोई अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार का विभाग जिसे सर्वेक्षण अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा और संधारण का कार्य सौंपा जाये, ऐसे नक्शे और रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां, ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, और ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, पुनरीक्षित और सही करवायेगा।

(3) रजिस्टर, नक्शों और अन्य अभिलेख में प्रविष्टियों के पुनरीक्षण या सही किये जाने का कार्य विहित रीति से उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन नक्शों और रजिस्ट्रों के पुनरीक्षण या सही किये जाने के प्रयोजन के लिए उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी रीति से कार्यवाही करेगा, जो विहित की जाये।

**14. सर्वेक्षण फीस.-** (1) ऐसी भूमि या परिसर, जिसका इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण किया गया है, का स्वामी, हक धारक या अधिभोगी, सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी फीस का, ऐसी दर पर, ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी सीमा तक जो राज्य सरकार विहित करे, संदाय करने का दायी होगा और इस प्रकार संदत्त नहीं की गयी कोई भी सर्वेक्षण फीस भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी:

परन्तु-

(क) सर्वेक्षणाधीन नगरीय क्षेत्र या उसके भाग में भूमियों या परिसरों के स्वामियों, हक धारकों या अधिभोगियों से उद्ग्रहणीय सर्वेक्षण फीस की कुल रकम, सर्वेक्षण की कुल लागत के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी; और

(ख) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी नगरीय निकाय द्वारा; या

(ii) किसी ऐसी भूमि या परिसर के संबंध में, जिसका क्षेत्रफल या मूल्य ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं है, जो विहित की जायें; या

(iii) धार्मिक उपासना या पूर्त प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से धारित भूमि या परिसर के संबंध में,

कोई सर्वेक्षण फीस संदेय नहीं होगी।

(2) भूमि या परिसर का प्रत्येक स्वामी, हक धारक या अधिभोगी जिसने इस धारा के अधीन सर्वेक्षण फीस संदत्त कर दी है, निःशुल्क, और ऐसा प्रत्येक स्वामी, हक धारक या अधिभोगी जो सर्वेक्षण शुल्क

संदत्त करने का दायी नहीं है, ऐसे प्रभारों का, जो विहित किये जायें, संदाय करने पर इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये नक्शे से प्रमाणित उद्धरण और रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरण, जहां तक वे ऐसी भूमि या परिसर से संबंधित हों, प्राप्त करने का हकदार होगा।

**15. सर्वेक्षण की लागत.-** धारा 14 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रत्येक सर्वेक्षण की लागत-

- (i) ऐसे नगरीय निकाय के मामले में, जिसके स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया है, ऐसे नगरीय निकाय द्वारा;  
और
- (ii) अन्य मामलों में, राज्य सरकार द्वारा; वहन की जायेगी:

परन्तु खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, राज्य सरकार-

- (क) राज्य की समेकित निधि में से ऐसी लागत का कोई भाग संदत्त करने के लिए, या
- (ख) ऐसी लागत की भरपायी करने के लिए ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो पारस्परिक सहमति से करार पायी जायें, नगरीय निकाय को अग्रिम उधार देने के लिए, सहमत हो सकेगी।

**16. नोटिस में की गयी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने पर शास्ति.-** जो कोई इस अधिनियम के अधीन जारी और सम्यक् रूप से तामील किये गये नोटिस में अन्तर्विष्ट किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

**17. नक्शों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, और उनके उद्धरणों की प्रतियां.-** (1) धारा 13 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समस्त नक्शे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज ऐसी रीति से, ऐसे समय में, ऐसे स्थानों पर, ऐसी शर्तों के अध्याधीन और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो राज्य सरकार विहित करे, लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(2) ऐसे नक्शों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों की, या यथास्थिति, उनमें से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां, ऐसी प्रतिलिपि फीस का संदाय करने पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, प्रदान की जायेंगी।

**18. नियम.-** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

- (i) सर्वेक्षणाधीन नगरीय क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या परिसर के बारे में नक्शों और रजिस्ट्रों, उनके प्ररूपों को तैयार करने, और सूचना के संग्रहण और अभिलेख के लिए;
- (ii) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों के विनियमन के लिए;
- (iii) तदधीन की जाने वाली समस्त जांचों की रीति के लिए;
- (iv) उन समस्त मामलों का, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किये जा सकते हैं, विनियमन करने के लिए; और
- (v) साधारणतया इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली समस्त बातों के समुचित संपादन के लिए और उसके प्रयोजनों और उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए,

ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

**19. अनौपचारिकता से कार्यवाहियों का प्रभावित नहीं होना.-** इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाहियां, किसी अनौपचारिकता के कारण प्रभावित नहीं होंगी, बशर्ते उनके उपबंधों का सारतः और प्रभावी रूप से अनुपालन कर लिया गया हो।

**20. नक्शों और रजिस्ट्रों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा.-** इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये समस्त नक्शों और रजिस्ट्रों में की गयी समस्त प्रविष्टियां तब तक सही समझी जायेंगी जब तक कि उनके प्रतिकूल कोई बात साबित नहीं कर दी जाये:

परन्तु ऐसा कोई भी नक्शा या प्रविष्टि किसी भूमि या परिसर में किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित पर प्रभाव नहीं डालेगी या उसे ऐसे अधिकार, हक या हित को किसी सक्षम न्यायालय में विधि के अनुसार प्रवर्तित कराने से प्रवारित नहीं करेगी।

### अध्याय 3

नगरीय भूमि हक प्रमाणन प्राधिकारी की नियुक्ति

**21. नगरीय भूमि हक प्रमाणन प्राधिकारी की नियुक्ति.-** (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की संवीक्षा करने, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा रखे गये अभिलेखों सहित सुसंगत शासकीय अभिलेखों से सत्यापन करने, और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, हक प्रमाणपत्र जारी किये जाने के प्रयोजन के लिए नगरीय भूमि हक प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार इतनी संख्या में और ऐसे प्रवर्ग के अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन प्रमाणन प्राधिकारी की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।

**22. हक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन.-** (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी नगरीय भूमि में हक धारित करता है, या कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी नगरीय भूमि में कोई हक अर्जित करता है, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ, हक के दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनके आधार पर आवेदक हक का दावा करता है और ऐसी फीस, जो विहित की जाये, संलग्न होगी।

**23. आवेदन प्ररूप के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की संवीक्षा और अभिलेख से उनका सत्यापन.-** धारा 22 के अधीन आवेदन

प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, प्रमाणन प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना और दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा और सूचना की सत्यता और ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संधारित सुसंगत अभिलेख से उनके सत्यापन की मांग करेगा।

**24. अतिरिक्त सूचना या दस्तावेजों की मांग करना.-** प्रमाणन प्राधिकारी, आवेदक के दावे के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवेदक से या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी जो सुसंगत अभिलेख का संधारण करता है, से ऐसी अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज की मांग कर सकेगा।

**25. हक प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.-** (1) प्रमाणन प्राधिकारी, यदि धारा 22 के अधीन आवेदन के साथ उसको प्रस्तुत की गयी और धारा 24 के अधीन उसके द्वारा मांगी गयी सूचना और दस्तावेजों की संवीक्षा और सत्यापन करने पर, सूचना की सत्यता और ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में उसका समाधान हो जाता है और उसकी यह राय हो कि आवेदन में विनिर्दिष्ट नगरीय भूमि के विधिपूर्ण हक धारक के रूप में आवेदक की प्रास्थिति की पुष्टि करते हुए आवेदक के हक को प्रमाणित किया जा सकता है तो वह इसके लिए कारण कथित करते हुए इस आशय का अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और विहित रीति से कम्प्यूटरीकृत भू-मूल्यांकन और अभिलेखों का प्रशासन (सी.एल.ई.ए.आर.) में डाटा प्रविष्ट कर सकेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रत्याभूति का दावा किये बिना दो वर्ष की कालावधि के लिए अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को हक का कोई भी अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा-

(क) जब तक कि वह-

(i) धारा 27 की उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार संदत्त नहीं कर देता है; और

(ii) ऐसे प्राधिकारियों से, और ऐसे मामलों से संबंधित, जो विहित किये जायें, अदेयता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है; और

(ख) जहां हक किसी न्यायालय के समक्ष या अन्यथा विवादित है।

(3) प्रमाणन प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये अनन्तिम प्रमाणपत्र को उस दशा में वापस मंगवायेगा और रद्द करेगा, जहां-

(क) उसके समक्ष प्रमाणपत्र के धारक के हक के संबंध में कोई सदभाविक प्रतिदावा या आक्षेप फाइल किया जाता है; या

(ख) यह तथ्य उसकी जानकारी में लाया जाता है कि भूमि, जिससे वह अनन्तिम प्रमाणपत्र संबंधित है, का हक किसी न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है,-

और वह प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार की रकम, उसमें से ऐसे प्रशासनिक व्यय को घटाकर, जो विहित किये जायें, ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को प्रतिदत्त कर देगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन हक का अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणन प्राधिकारी, ऐसे प्रमाणपत्र के जारी किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिवस से अनधिक ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसे प्रमाणपत्र के धारक से भूमि, जिससे वह प्रमाणपत्र संबंधित है, के संबंध में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा करेगा जो ऐसी भूमि पर ऐसे प्रमाणपत्र के धारक के कब्जे और हक को पर्याप्त रूप से दर्शाते हों और ऐसे प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने तक इस प्रकार दर्शाते रहें।

(5) यदि, ऐसी कालावधि, जिसके दौरान उप-धारा (1) के अधीन जारी अनन्तिम हक प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, ऐसे प्रमाणपत्र के धारक के हक के बारे में कोई भी प्रतिदावा या आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् प्रमाणन प्राधिकारी, ऐसे हक का स्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके लिए राज्य सरकार, ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सीमा तक, हक की वास्तविकता और प्रामाणिकता के लिए प्रत्याभूतिदाता के रूप में होगी।

(6) अनन्तिम और स्थायी दोनों प्रकार का हक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाये।

**26. हक में पश्चात्पूर्ती परिवर्तनों का प्रमाणपत्र में अभिलिखित किया जाना.-** (1) यदि धारा 25 के अधीन हक प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात्, हक धारक के हक में कोई परिवर्तन होता है तो हक धारक, प्रमाणन प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के बारे में विहित रीति से तुरंत सूचित करेगा और प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तनों को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए हक प्रमाणपत्र प्रमाणन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन हक प्रमाणपत्र के साथ कोई सूचना प्राप्त होती है तो प्रमाणन प्राधिकारी धारा 23 और 24 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि परिवर्तन के तथ्य के बारे में उसका समाधान हो जाता है तो वह हक प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तन को, विहित रीति से, अभिलिखित करेगा।

(3) जहां हक धारक, उसके हक में परिवर्तन के पश्चात्, ऐसे परिवर्तनों को उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलिखित कराये बिना, हक के स्थायी प्रमाणपत्र का किसी भी प्रयोजन, जो कोई भी हो, के लिए उपयोग करता है, वहां प्रमाणन प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी भूमि, जिससे कि प्रमाणपत्र संबंधित है, ऐसे प्रमाणपत्र के उपयोग के समय उस क्षेत्र, जिसमें भूमि स्थित है, की प्रचलित डी.एल.सी. दरों पर प्रगणित मूल्य की रकम के 0.05 प्रतिशत के बराबर की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

**27. प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार.-** (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हक प्रमाणपत्र चाहता है, उस भूमि की, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, प्रचलित डी.एल.सी. दरों के 0.5 प्रतिशत के बराबर रकम प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभारों के रूप में संदत्त करने का दायी होगा।

(2) जहां धारा 26 के अधीन हक प्रमाणन में कोई परिवर्तन अभिलिखित किया जाता है, वहां हक धारक उस भूमि की, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, प्रचलित डी.एल.सी. दरों के 0.05 प्रतिशत के

बराबर अतिरिक्त रकम, प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभारों के रूप में संदाय करेगा।

(3) प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार की रकम, हक का अनन्तिम प्रमाणपत्र जारी किये जाने के समय संदेय होगी।

**28. निक्षेप निधि की स्थापना.-** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निक्षेप निधि, जिसे इसमें आगे "निधि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की स्थापना की जायेगी।

(2) फीस, शास्ति और प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार के मद्धे वसूल किया गया समस्त धन निधि में जमा किया जायेगा।

(3) निधि का उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी प्रतिकर के संदाय के कारण व्ययों को और प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत ऐसे अन्य प्रशासनिक व्ययों को, जो विहित किये जायें, पूरा करने में किया जायेगा।

(4) निधि का प्रबंध, लेखे और संपरीक्षा ऐसे नियमों द्वारा विनियमित की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर बनाये जायें।

**29. क्षतिपूर्ति.-** कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये हक के स्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर हक धारक के साथ प्रतिफल के लिए करार करता है और उसके द्वारा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट त्रुटि से भिन्न हक की किसी भी त्रुटि के कारण कोई हानि उपगत करता है तो वह ऐसी हानि के लिए, ऐसी सीमा तक जो ऐसी त्रुटि के कारण हुई मानी जा सके, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, प्रत्याभूतिदाता के रूप में राज्य सरकार की ओर से प्रमाणन प्राधिकारी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम उस भूमि के, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, प्रमाणपत्र जारी करते समय उस क्षेत्र में, जिसमें भूमि स्थित है, प्रचलित डी.एल.सी. दरों पर प्रगणित मूल्य की रकम से अधिक नहीं होगी।

**30. हक के स्थायी प्रमाणपत्र का रद्दकरण, उपान्तरण या निलंबन.-** (1) जहां धारा 25 के अधीन स्थायी हक प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् प्रमाणन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि प्रमाणपत्र

भूल के कारण जारी किया गया है और उसमें अन्तर्विष्ट कोई घोषणा सारवान् रूप से गलत है, तो वह तुरंत उस प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा और हक धारक से-

- (i) उसके समक्ष ऐसे समय के भीतर-भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रमाणपत्र पेश करने की;
- (ii) प्रमाणपत्र का किसी भी प्रयोजन, जो कोई भी हो, के लिए उपयोग नहीं करने की; और
- (iii) क्यों नहीं उस प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाये या ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपांतरित कर दिया जाये, के कारण देने की,

अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जब हक धारक प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र पेश करता है तब वह, जब तक कि प्रमाणपत्र इस धारा के उपबंधों के अनुसार रद्द न कर दिया जाये या उपांतरित न कर दिया जाये तब तक प्रमाणपत्र को परिबद्ध कर सकेगा और प्रमाणपत्र को ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकेगा, जैसाकि वह विनिर्दिष्ट करे।

(3) जहां हक धारक कोई भी कारण नहीं देता है या प्रमाणन प्राधिकारी का हक धारक द्वारा दिये गये कारणों से समाधान नहीं होता है, वहां प्रमाणन प्राधिकारी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा या, यथास्थिति, उसको इस प्रकार उपांतरित कर सकेगा कि प्रमाणपत्र उस भूमि में, जिससे वह संबंधित है, हक धारक के हक की सही प्रकृति को प्रकट करे।

(4) जहां हक धारक प्रमाणपत्र का उसको निलंबित या रद्द किये जाने के पश्चात् किसी भी प्रयोजन, जो कोई भी हो, के लिए उपयोग करता है, वहां प्रमाणन प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस भूमि के, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित था, प्रमाणपत्र के उपयोग के समय उस क्षेत्र में, जिसमें भूमि स्थित है, प्रचलित डी.एल.सी. दरों पर प्रगणित मूल्य की रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

**31. कपट, दुर्यपदेशन या तथ्यों को छिपाकर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शास्ति.-** यदि किसी व्यक्ति ने कपट, दुर्यपदेशन या तथ्यों को छिपाकर कोई प्रमाणपत्र, चाहे वह अनन्तिम हो या स्थायी, प्राप्त किया है तो प्रमाणन प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस भूमि के, जिससे प्रमाणपत्र संबंधित है, प्रमाणपत्र जारी करते समय उस क्षेत्र में, जिसमें भूमि स्थित है, प्रचलित डी.एल.सी. दरों पर प्रगणित मूल्य की रकम से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

**32. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.-** राज्य सरकार या किसी भी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**33. अपील.-** (1) प्रमाणन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिवस की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील करने से निवारित था तो वह उसे उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की तारीख से साठ दिवस की और कालावधि में अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) अपील ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में फाइल की जायेगी और उसके साथ ऐसी फीस और दस्तावेज संलग्न होंगे, जैसाकि विहित किया जाये।

(3) इस धारा के अधीन अपील ऐसी रीति से सुनी और निपटायी जायेगी, जो विहित की जाये:

परन्तु अपील के निपटारे जाने के पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन की गयी अपील में, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसे पुष्ट, उपान्तरित या उलटने वाला प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

**34. अधिकरण का गठन.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकरण का गठन करेगी।

(2) अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसे ऐसा वेतन और भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।

(3) राज्य सरकार, अधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक उपलब्ध करवा सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल की गयी अपीलों का विनिश्चय करने के लिए अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(5) अधिकरण को अपीलों की सुनवाई के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

**35. अभिलेख का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां देना.-** (1) नगरीय भूमि में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जायें, अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

(2) प्रमाणन प्राधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्ति को भूमि के उस भाग की पहचान करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अभिलेख की एक अनुक्रमणिका रखेगा और ऐसी अनुक्रमणिका सुविधापूर्ण तलाशी के लिए उस सूचना के विन्यास को स्पष्ट रूप से उपदर्शित कर सकेगी।

**36. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसीकि अवसर की अपेक्षा हो, आदेश द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत नहीं हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके ऐसा किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

**37. राज्य सरकार की उसके अधीनस्थ अधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा नियत करने की शक्ति.-** इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे की समय-सीमा नियत कर सकेगी और ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को ऐसे निदेश प्रदान कर सकेगी जिन्हें वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और ऐसे निदेश राज्य विधान-मण्डल की तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

**38. शोधय राशि की वसूली.-** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई भी राशि, यदि नियत तारीख तक संदत्त न की जाये तो, प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

**39. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 7-क के उपबंधों का धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू नहीं होना.-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने की तारीख से राजस्थान भू-राजस्व

अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 7-क में अन्तर्विष्ट आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण से संबंधित उपबंध ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय निकाय के नगरीय क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

**40. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

जहां तक कृषि भूमि का संबंध है, भूमि में या भूमि पर अधिकारों के अवधारण और अधिकारों के अभिलेख को तथा साथ ही उसके अन्तरण और अन्यसंक्रामण इत्यादि को सम्मिलित करते हुए भूमि अभिलेखों का संधारण राज्य विधान-मण्डल द्वारा अधिनियमित विधि के अनुसार प्रभावी और सम्यक् रूप से संधारित किया जाता है किन्तु नगरीय भूमियों, जो राज्य में विभिन्न विधियों द्वारा शासित की जाती हैं, के संबंध में स्थिति ऐसी नहीं है। हक धारकों का अपना हक उत्तरोत्तर अंतरणों के दस्तावेजों की श्रृंखला पर आधारित होता है और कभी-कभी उनसे संव्यवहार करने वाले व्यक्ति संपत्ति के हक की वास्तविक स्थिति को लेकर दुविधा में रहते हैं और उसके लिए अंतरिती के हित को सुरक्षित करने के लिए अंतरण के दस्तावेजों, जो कि अंतरिती के हस्तांतरण पत्र की तरह कार्य करते हैं, का वर्णन अस्पष्ट और विस्तृत विधिक शब्दावली में किया जाता है। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए और नगरीय भूमियों के अधिकारों के अभिलेख को किसी एकल अभिकरण द्वारा प्रमाणिक रीति से संधारित करने और उक्त हक को प्रमाणित करने के लिए, सुशासन के अध्युपाय के रूप में और नगरीय भूमि के परेशानी रहित संव्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए इस विषय पर कोई विधि अधिनियमित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे नगरीय भूमियों और परिसरों को रखने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट हक उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त ऐसे संव्यवहारों पर उदगृहित करों के उचित निर्धारण में भी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,  
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन

महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (14) विधि/2/2016 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2016  
प्रेषक: राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति विशिष्ट सचिव, राजस्थान  
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

### **वित्तीय ज्ञापन**

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 के खण्ड 4, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 29, 34 और 35 यदि अधिनियमित किये जाते हैं, तो ये राज्य की समेकित निधि से व्यय अन्तर्वलित करेंगे जो 284.28 लाख रुपये के आवर्ती और 26 लाख रुपये के अनावर्ती व्यय के रूप में अनुमानित हैं।

राजपाल सिंह शेखावत,  
**प्रभारी मंत्री।**

### प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो राज्य सरकार को ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने प्रगणित मामलों के संबंध में, नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

- | <b>खण्ड</b> | <b>के संबंध में</b>   |
|-------------|---|
| 3(v)        | वह रीति, जिससे सी.एल.ई.ए.आर. को स्थापित और संधारित किया जाये, विहित करना;   |
| 4(5)        | वह रीति, जिससे सर्वेक्षण किया जाना है, विहित करना;  |
| 4(6)        | अतिरिक्त अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य विहित करना;   |
| 8(2)        | वह रीति, जिससे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग की भूमियों और परिसरों को नक्शे पर दर्शाया जायेगा और भूमि के प्रत्येक टुकड़े को दिये जाने वाले उपदर्शक सर्वेक्षण संख्यांक को पृथक् रूप से दर्शाया जायेगा, विहित करना; |
| 8(4)        | सर्वेक्षण की गयी भूमियों के रजिस्टर में अंतर्विष्ट ब्यौरे और अन्य विशिष्टियां विहित करना;   |
| 13(1)       | वह रीति, जिससे संबंधित नगरीय निकाय या अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग द्वारा नक्शे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज संधारित किये जाने हैं, विहित करना;   |
| 13(2)       | वह रीति, जिससे और अंतराल जिनमें नक्शों और रजिस्टरों में की प्रविष्टियां पुनरीक्षित और सही करवायी जायेंगी, विहित करना;   |
| 13(3)       | वह रीति, जिससे रजिस्टर, नक्शे और अन्य अभिलेख में की प्रविष्टियों का पुनरीक्षण या सही किया जाने का कार्य   |

- कार्यान्वित किया जायेगा, विहित करना;
- 13(4) वह शक्ति, जो नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जायेगी और वह रीति, जिससे वह नक्शों और रजिस्ट्रों के पुनरीक्षण या सही किये जाने की कार्यवाही करेगा, विहित करना;
- 14(1) वह दर जिस पर, रीति जिससे, समय जिसके भीतर-भीतर और सीमा जिस तक सर्वेक्षण फीस का संदाय किया जाना है, और सर्वेक्षण फीस के लिए सीमा, विहित करना;
- 14(2) नक्शे और रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरण प्राप्त करने के प्रभारों का संदाय विहित करना;
- 17(1) नक्शों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए रीति, समय, स्थान, शर्तें और फीस विहित करना;
- 17(2) नक्शों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों के उद्धरण के लिए संदत की जाने वाली प्रतिलिपि फीस विहित करना;
- 18 साधारणतया इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली समस्त बातों के समुचित संपादन के लिए और उसके प्रयोजनों और उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए;
- 21(1) नगरीय भूमि हक प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की संवीक्षा करने, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा रखे गये अभिलेखों सहित सुसंगत शासकीय अभिलेखों से सत्यापन करने का प्ररूप और रीति विहित करना;
- 22(1) वह रीति, जिससे और समय, जिसके भीतर-भीतर हक प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा, विहित करना;
- 22(2) हक के दस्तावेज और हक प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस विहित करना;
- 25(1) वह रीति, जिससे सी.एल.ई.ए.आर. में डाटा प्रविष्ट किया जायेगा, विहित करना;
- 25(2)(ii) प्राधिकारी जिनसे और मामले जिनके संबंध में अदेयता

- प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित होंगे, विहित करना;
- 25(3) प्रमाणन एवं प्रत्याभूति प्रभार की रकम, जो प्रशासनिक व्यय को घटाने के पश्चात् प्रतिदत्त की जायेगी, विहित करना;
- 25(6) वह प्ररूप, जिसमें अनन्तिम और स्थायी हक प्रमाणपत्र जारी किया जाये, विहित करना;
- 26(1) और (2) वह रीति, जिससे हक धारक, हक धारक के हक में परिवर्तन की सूचना देगा और, हक प्रमाणपत्र में परिवर्तन भी अभिलिखित करेगा, विहित करना;
- 28(3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा उपगत अन्य प्रशासनिक व्ययों को विहित करना;
- 28(4) निधि का प्रबंध, लेखाओं और संपरीक्षा के विनियम के संबंध में;
- 29 ऐसी हानि को, उस सीमा तक जो त्रुटि के कारण हुई मानी जाये, और वह रीति जिससे व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है, विहित करना;
- 33 वह रीति और प्ररूप, जिसमें अपील फाइल की जायेगी और वह फीस और दस्तावेज जो इसके साथ संलग्न होंगे, तथा वह रीति भी जिससे अपील सुनी और निपटायी जायेगी, विहित करना;
- 34(4) अपीलों का विनिश्चय करने के लिए अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करना;
- 35(1) फीस का संदाय और वे शर्तें, जिनके अध्यक्षीन रहते हुए अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करायी जानी हैं, विहित करना; और
- 40(1) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

राजपाल सिंह शेखावत,  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 9 of 2016

**THE RAJASTHAN URBAN LAND (CERTIFICATION OF  
TITLES) BILL, 2016**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*to provide for survey and maintenance of record of urban lands and certification of titles thereof and matters connected therewith and incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**

Preliminary

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Land (Certification of Titles) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force in such urban areas of the State and from such date as the State Government may by notification in the *Official Gazette*, appoint from time to time and different dates may be appointed for different areas.

**2. Act not to be in derogation of any other law.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**3. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (i) “abadi”, “abadi area” or “abadi land” means an area or land defined as such in clause (b) of section 103 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (ii) “agriculture” means agriculture as defined in clause (2) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
- (iii) “certificate” means the certificate of title issued by the Certification Authority under section 25;
- (iv) “Certification Authority” means the Urban Land Title Certification Authority appointed under section 21;
- (v) “CLEAR” means the Rajasthan Computerized Land Evaluation and Administration of Records, a central system of electronic data storage established and maintained, in the manner as may be prescribed;
- (vi) “DLC rates” mean the rates determined from time to time by the District Level Committee constituted by the State Government under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 for the purpose of levying Stamp Duty on instruments;
- (vii) “fraud” shall have the same meaning as assigned to it under section 17 of the Indian Contract Act, 1872 (Central Act No. 9 of 1872);
- (viii) “instrument” shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act No. 4 of 1882);
- (ix) “land” means the land which is not let or held for agricultural purposes;
- (x) “misrepresentation” shall have the same meaning as assigned to it under section 18 of the Indian Contract Act, 1872 (Central Act No. 9 of 1872);

- (xi) “premises” mean any land or building described as such in any record prepared under this Chapter or in any other previously existing record;
- (xii) “survey” includes identification of boundaries and all other operations antecedent to, or connected with, survey;
- (xiii) “title holder” means the person who holds title of the urban land in accordance with law and who is issued a certificate of title under and in accordance with the provisions of this Act;
- (xiv) “Tribunal” means the Tribunal constituted under section 34;
- (xv) “urban area” means-
  - (i) the area of a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
  - (ii) the area under Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959);
  - (iii) the area within “Jaipur Region” as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
  - (iv) the area within “Jodhpur Region” as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009);
  - (v) the area within “Ajmer Region” as defined in clause (2) of section 2 of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013); and
  - (vi) the area of a body or authority declared as urban body under sub-clause (vii) of clause (xvi).
- (xvi) “urban body” means-

- (i) a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
  - (ii) an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959);
  - (iii) the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
  - (iv) the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009);
  - (v) the Ajmer Development Authority constituted under the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013);
  - (vi) the Rajasthan Housing Board constituted under the Rajasthan Housing Board Act, 1970 (Act No. 4 of 1970); and
  - (vii) any other body or authority which may be notified by the State Government as an urban body for the purposes of this Act; and
- (xvii) “urban land” means the land situate in urban area of an urban body except agriculture land.

## CHAPATER II

### Survey and Maintenance of Record

**4. Survey of land and premises in the urban areas.-** (1) *The State Government may, whenever it thinks fit, order, by notification in the Official Gazette, that a survey shall be made of any urban area within the State or any part thereof and such urban area or, as the case may be, part thereof shall thereupon be deemed to be under survey.*

(2) *The State Government may, by the same or a subsequent notification, direct that a urban body having jurisdiction over such urban area or part thereof shall be incharge of the survey so ordered.*

(3) *The urban body, incharge of such survey, shall, in relation thereto, exercise such powers and perform such duties as may be specified in the notification referred to in sub-section (2).*

(4) *Where no urban body is directed to be incharge of any survey ordered under sub-section (1), any other officer of the State Government appointed for the purpose shall be incharge of such survey and where no such officer is appointed, the Collector of the District shall be incharge of such survey.*

(5) *The survey ordered under sub-section (1) shall be conducted in the prescribed manner by such officers and servants as are appointed by the State Government for the purpose and after such appointment such officers and servants shall be the officers and servants conducting survey.*

(6) *The State Government may appoint additional officers and servants as it may think necessary to assist the officers appointed under sub-section (5) and every officer appointed under this sub-section shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.*

**5. Entry upon land.-** The officer conducting the survey shall, for the purposes of this Act, have power, either by himself or by other officers or servants employed in the survey, to enter, between the hours of sunrise and sunset, upon any land or premises within the urban area or part thereof under survey, without being liable to any legal proceedings whatsoever on account of such entry or anything done on such land or premises in pursuance of the provision of this Act:

Provided that no such entry shall be made upon any land or premises which may be occupied at any time, unless with the consent of the occupier thereof, or without previously giving the said occupier twenty four hours notice of the intention to do so.

**6. Notice of survey.-** Before entering on any land or premises for the purposes of survey, the officer conducting the

survey shall cause a notice in writing under his hand to be served on the owner or occupier of the land or premises about to be surveyed and on the owners or occupiers of coterminous lands or premises, calling upon them to attend either personally or by an authorized agent on such land or premises before him or before such officer as may be authorized by him in that behalf within a specified time (which shall not be less than three days after the service of such notice) for the purpose of pointing out boundaries and of affording such information as may be needed for the purposes of this Act, and every person on whom such notice may be served shall be bound to attend as required by the notice and to give any information which may be required so far as he may be able to give it.

**7. Survey may be proceeded with after service of notice under section 6.-** After due service of notice under section 6,-

- (i) the officer conducting survey or any other officer or servant authorized by him in his behalf may proceed with the survey whether the persons upon whom such notice has been served are present or not; and
- (ii) every such person who fails to appear or present as required by the said notice shall be bound by the results of the survey in the same manner and to the same extent as if the survey were made in his presence.

**8. Survey map and register.-** (1) The officer conducting survey shall prepare a map, register and field book of the urban area or part thereof under survey.

(2) Lands and premises of such urban area or part thereof shall be shown on the map and indicative survey number to be assigned to every piece of land shall be shown separately in the prescribed manner.

(3) The officer conducting survey shall also prepare for the urban area or part thereof under survey, a register of all lands and premises therein which have been surveyed.

(4) The register prepared under sub-section (3) shall specify, in relation to each indicative survey number assigned

under sub-section (2), the name of the person or persons appearing at the time of survey to be the owner or person having interest and any other particulars as may be prescribed.

**9. Erection of boundary marks.-** The officer conducting the survey may at any time cause to be erected on any land, which is to be or has been, surveyed under this Act, temporary or permanent boundary marks of such materials and in such number and manner as he may determine to be sufficient for the purpose of survey.

**10. Maintenance of temporary boundary marks.-** (1) When any temporary boundary mark has been erected under section 9, the officer conducting the survey may cause a notice to be served on owner or occupier of land or premises whereon, or adjoining which, such boundary mark is situate, requiring him to maintain and keep in repair such boundary mark till the survey is completed.

(2) Where such owner or occupier does not comply with such notice, the officer conducting survey may repair the boundary mark and expenses incurred in doing so shall be recoverable from such owner or occupier as arrears of land revenue.

**11. Disputes as to boundaries.-** (1) If in the course of a survey under this Act, a dispute is found to exist as to the boundaries of any land or premises to be surveyed, an inquiry shall be held by an officer specifically authorized in this behalf, for the purpose of determining such dispute.

(2) The officer authorized under sub-section (1) shall cause a notice in writing under his hand to be served on the parties concerned requiring them to appear before him, in person or by authorized agent, on a specified day and to produce evidence of possession of the land or premises in dispute.

(3) On the specified day or on such other day to which the hearing may be adjourned, the officer authorized under sub-section (1) shall hear the parties, receive the evidence produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence as he may think necessary and without reference to the merits of the claim of any of such parties to a right to possess the land or premises in dispute, decide which party is in possession of said land or premises at the time of the survey.

(4) For the purposes of the inquiry, the officer authorized under sub-section (1) shall have power to summon and enforce attendance of witnesses and compel the production of documents by the same means and in the same manner as is provided in the case of a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(5) After the inquiry has been completed, the officer authorized under sub-section (1) shall pass an order in writing defining clearly the subject of dispute and recording his decision and assigning clearly the reasons for such decision.

(6) An appeal against the order passed under sub-section (5) shall lie to the Tribunal and such appeal may be preferred within sixty days from the date of such order.

**12. Record of survey to be sent to the concerned urban body or the authority or department of the State Government.-**

(1) As soon as may be, after completion of survey operations in any urban area, the officer incharge of survey shall send all maps, registers and other documents including files on which decisions were recorded and other papers connected with survey to such urban body in whose local area the survey was conducted or to such other authority or department of the State Government as the State Government may specify by general or special order for safe custody of record of survey.

(2) If the State Government is satisfied with the survey and approves it, the fact of such satisfaction and approval shall be notified in the *Official Gazette*.

**13. Maintenance of record.-** (1) *All maps, registers and other documents including connected files and other papers which were part of survey operations and are deposited with the concerned urban body or any other authority or department of the State Government, shall be kept in safe custody by such body, authority or department of the State Government and shall be maintained by such body, authority or department in the manner as may be prescribed.*

(2) *The urban body, any other authority or department of the State Government which is entrusted with the safe custody and maintenance of the survey records shall cause such maps and*

*entries in registers to be revised and corrected at such intervals and in such manner as may be prescribed and by such officer as may be appointed or authorized in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette.*

*(3) The revision or correction of entries in the register, maps and other record shall be carried out by the officer appointed or, as the case may be, authorized under sub-section (2) in the prescribed manner.*

*(4) The officer appointed or authorized under sub-section (2) for the purpose of revising or correcting maps and registers under this Act shall exercise such powers and proceed in such manner as may be prescribed.*

**14. Survey fees.-** *(1) The owner, title holder or occupier of the land or premises which has been surveyed under this Act shall be liable to pay to the officer or authority incharge of the survey, a fee at such rate, in such manner, within such time after the completion of survey and to such extent, as the State Government may prescribe and any survey fee not so paid shall be recoverable as arrears of land revenue:*

*Provided that -*

- (a) the aggregate amount of survey fee leviable from owners, title holders or occupiers of lands or premises in the urban area or part thereof under survey shall not exceed one third of the total cost of the survey; and*
- (b) no survey fee shall be payable,-*
  - (i) by the Central Government or the State Government or by an urban body; or*
  - (ii) in respect of any such land or premises, area or value of which not exceed such limits as may be prescribed; or*
  - (iii) in respect of land or premises held exclusively for religious worship or charitable purposes.*

(2) *Every owner, holder of title or occupier of land or premises who has paid the survey fee under this section shall be entitled to receive free of charge, and every owner, holder of title or occupier who is not liable to pay such survey fee shall be entitled to receive on payment of such charges, as may be prescribed, a certified extract from the map and a certified extract from the register prepared under this Act so far as they relate to such land or premises.*

**15. Cost of survey.-** *Subject to the provisions of section 14, the cost of every survey made under this Act shall be met -*

- (i) *in case of an urban body in whose local area the survey is conducted, by such urban body; and*
- (ii) *in other cases by the State Government:*

*Provided that in the cases covered by clause (i), the State Government may agree-*

- (a) *to pay a portion of such cost out of Consolidated Fund of the State, or*
- (b) *to advance loan to the urban body for meeting such cost upon such terms and conditions as may be mutually agreed upon.*

**16. Penalty for failure to comply with requisition in notice.-** *Whoever fails to comply with a requisition contained in any notice issued under this Act and duly served shall be liable to fine not exceed rupees one thousand.*

**17. Inspection of, and copies of extracts from maps, registers and other documents.-** (1) *All maps, registers and other documents referred to in sub-section (1) of section 13 shall be open for public inspection in such manner, within such hours, at such places, subject to such conditions and on payment of such fee as the State Government may prescribe.*

(2) *Certified copies of, or, as the case may be, extracts from, such maps, registers and documents shall be granted on payment of such copying fee and in such manner as the State Government may prescribe.*

**18. Rules.-** The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules not inconsistent with the provisions of this Act-

- (i) for preparation of maps and registers, the forms thereof, and the collection and record of information in respect of any land or premises within the urban area under survey;
- (ii) for regulation of all proceedings to be taken under this Act;
- (iii) for the manner of all inquiries to be made thereunder;
- (iv) for regulation of all matters which are required to be, or may be, prescribed under this Act; and
- (v) generally for proper performance of all things to be done under this Act and carrying out of the purposes and provisions thereof.

**19. Proceedings not to be affected by informality.-** No proceedings under this Act shall be affected by reasons of any informality, provided that the provisions thereof have, in substance and effect, been complied with.

**20. Presumption as to maps and entries in registers.-** All maps and all entries made in the registers prepared under this Act shall be presumed to be correct unless the contrary is proved:

Provided that no such map or entry shall affect the right, title or interest of any person to or in any land or premises or shall preclude him from enforcing such right, title or interest in a competent court in accordance with law.

### CHAPTER III

#### Appointment of Urban Land Title Certification Authority

**21. Appointment of Urban Land Title Certification Authority.-** (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the *Official Gazette*, appoint an officer of the Indian Administrative Service to

*be the Urban Land Title Certification Authority for the purpose of receiving applications, scrutinizing the documents, verification from relevant official records including the records kept by the local urban bodies, and issuance of certificate of title in such form and in such manner as may be prescribed.*

*(2) The State Government may also appoint such number and category of other officers and servants as it may think necessary to assist the Certification Authority in discharge of his functions under this Act.*

**22. Applications for issuance of certificate of title.-** (1) A person who either holds title of any urban land immediately before the commencement of this Act, or a person who acquires title of any urban land after the commencement of this Act, may apply in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) The application under sub-section (1) shall be accompanied by the documents of title or the documents on the basis of which the applicant claims the title and such fee as may be prescribed.

**23. Scrutiny of documents furnished with application form and their verification from the record.-** As soon as may be, after the receipt of application under section 22, the Certification Authority shall scrutinize the information and the documents furnished by the applicant and seek their verification from the relevant record maintained by the State Government or any other authority to satisfy himself about the veracity of the information and authenticity of such documents.

**24. Seeking additional information or documents.-** The Certification Authority may seek such additional information or documents from the applicant or, as the case may be, from any officer of the State Government or any other authority who maintains relevant record to satisfy himself about the claim of the applicant.

**25. Issuance of certificate of title.-** (1) *The Certification Authority, if he is satisfied, on the scrutiny and verification of the information and documents furnished to him with the application*

*under section 22 and sought by him under section 24, about the veracity of the information and authenticity of such documents and is of the opinion that the title of the applicant may be certified confirming the status of applicant as lawful holder of title of the urban land specified in the application, he may record a finding to that effect stating reasons therefor and enter the data in CLEAR in the prescribed manner and issue a provisional certificate of title for a period of two years without claiming any guarantee whatsoever on behalf of the State Government.*

*(2) No provisional certificate of title shall be issued to any person-*

*(a) unless he-*

*(i) pays the certification cum guarantee charges as specified in sub-section (1) of section 27; and*

*(ii) produces no dues certificates from such authorities and pertaining to such matters, as may be prescribed; and*

*(b) where the title is disputed, whether before a court or otherwise.*

*(3) The Certification Authority shall recall and cancel the provisional certificate issued under sub-section (1), where-*

*(a) a bonafide counter claim or objection regarding the title of the holder of the certificate is filed before him; or*

*(b) the fact that the title of the land to which the provisional certificate relates is subjudice before any court, is brought to his notice,-*

*and shall refund the amount of the certification cum guarantee charge to the holder of such certificate after deducting such administrative expenses therefrom as may be prescribed.*

*(4) While issuing a provisional certificate of title under sub-section (1), the Certification Authority shall require the holder of the certificate to take, within such time not being more than*

*fifteen days from the date of the issue of such certificate as he may specify, such steps, with respect to the land to which such certificate relates, as may sufficiently reflect the possession and title of the holder of such certificate over such land and continue to reflect so till such certificate remains in force.*

*(5) If, during the period for which a provisional certificate of title issued under sub-section (1) remains in force, no counter claim or objection is received regarding the title of the holder of such certificate, the Certification Authority may, after expiry of the said period, issue a permanent certificate of title to which the State Government shall stand as guarantor for the genuineness and authenticity of the title to the extent specified in such certificate.*

*(6) The certificate of title, both provisional and permanent, shall be in such form as may be prescribed.*

**26. Subsequent changes in title to be recorded in the certificate.-** (1) If after issue of certificate of title under section 25, any change in the title of the title holder takes place, the title holder shall immediately inform the Certification Authority of such change in the prescribed manner and submit the certificate of title to the Certification Authority for the purpose of recording such changes in the certificate.

(2) When an information along with the certificate of title is received under sub-section (1), the Certification Authority shall proceed as per the provisions of sections 23 and 24 and if he is satisfied about the fact of change, he shall record such change in the certificate of title in the prescribed manner.

(3) Where the title holder uses the permanent certificate of title for any purpose whatsoever after the change in the title of the title holder without getting such changes recorded in accordance with the provision of sub-sections (1) and (2), the Certification Authority may, after making such enquiry as he may think necessary and after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, impose a penalty equal to 0.05 per centum of the amount of value of the land to which the certificate related calculated at the DLC rates prevalent in the area in which the land is situate at the time of the use of such certificate.

**27. Certification cum guarantee charges.-** (1) Every person, who seeks a certificate of title under the provisions of this Act, shall be liable to pay, by way of certification cum guarantee charges, an amount equal to 0.5 per centum of the prevailing DLC rates of the land to which certificate relates.

(2) Where any change in the certification of title is recorded under section 26, the title holder shall pay by way of certification cum guarantee charges an additional amount equal to 0.05 per centum of the prevailing DLC rates of the land to which certificate relates.

(3) The amount of certification cum guarantee charge shall be payable at the time of issue of the provisional certificate of title.

**28. Establishment of a Sinking Fund.-** (1) There shall be established a sinking fund, hereinafter referred to as “the Fund”, for the purposes of this Act.

(2) All the moneys realized on account of fees, penalty and certification cum guarantee charge shall be deposited to the Fund.

(3) The Fund shall be utilized to meet out the expenses on account of the payment of any compensation in accordance with the provisions of this Act and such other administrative expenses incurred by the Certification Authority for the purposes of this Act as may be prescribed.

(4) The management, accounts and audit of the Fund shall be regulated by such rules as may be made by the State Government from time to time in this behalf.

**29. Indemnity.-** *Any person, who enters into an agreement for consideration with the title holder on the basis of a permanent certificate of title issued under this Act and thereby incurs any loss due to any defect of title other than that specified in the certificate, shall be entitled to be compensated by the Certification Authority on behalf of the State Government as guarantor, for such loss to such extent as they are attributable to such defect, in such manner as may be prescribed:*

*Provided that the amount of compensation payable under this section shall not exceed the amount of the value of the land to*

*which the certificate relates calculated at the DLC rates prevalent at the time of issue of the certificate in the area in which the land is situate.*

**30. Cancellation, modification or suspension of the permanent certificate of title.-** (1) Where after issuance of a permanent certificate of title under section 25, the Certification Authority is satisfied that the certificate has been issued under mistake and contains a declaration which is materially wrong, he may immediately suspend the certificate and call upon the title holder-

- (i) to produce the certificate before him within such time as may be specified by him;
- (ii) not to use the certificate for any purpose whatsoever; and
- (iii) to furnish reasons as to why the certificate should not be cancelled or be modified in the manner as may be specified by him.

(2) When the title holder produces the certificate before the Certification Authority, he may impound the certificate and order to keep the certificate in such safe custody as he may specify until the certificate is cancelled or modified in accordance with the provisions of this section.

(3) Where the title holders does not furnish any reason or the Certification Authority is not satisfied with the reasons furnished by the title holder, the Certification Authority may cancel the certificate or, as the case may be, modify the same so as it may reflect the true nature of the title of the title holder in the land to which the certificate relates.

(4) Where the title holder uses the certificate for any purpose whatsoever after it has been suspended or cancelled, the Certification Authority may, after making such enquiry as he may think necessary and after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, impose a penalty not exceeding, double the amount of value of the land to which the certificate related calculated at the DLC rates prevalent in the area in which the land is situate at the time of the use of such certificate.

**31. Penalty for obtaining the certificate of title by fraud, misrepresentation or suppression of facts.-** If any person has obtained a certificate of title, whether provisional or permanent, by fraud, misrepresentation or suppression of facts, the Certification Authority may, after making such enquiry as he may think necessary and after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, impose a penalty not exceeding, the amount of value of the land to which the certificate related calculated at the DLC rates prevalent in the area in which the land is situate at the time of issue of such certificate.

**32. Protection of action taken in good faith.-** No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or any other officer or authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rules made thereunder.

**33. Appeals.-** (1) Any person aggrieved by an order of the Certification Authority may appeal within sixty days from the date of such order to the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within said period of sixty days, permit the appellant to prefer the appeal in further period of sixty days from the date of order appealed against.

(2) The appeal shall be filed in such manner and be in such form and be accompanied by such fees and documents as may be prescribed.

(3) The appeal under this section shall be heard and disposed of in such manner as may be prescribed:

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(4) Every order made on an appeal under this section confirming, modifying or reversing the order appealed against shall be final.

**34. Constitution of Tribunal.**- (1) *The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Tribunal for the purposes of this Act.*

(2) *The Tribunal shall consist of one person who shall be appointed by the State Government and shall be paid such salary and allowances as may be determined by the State Government.*

(3) *The State Government may provide the Tribunal such other officers and servants as it may think necessary to assist the Tribunal in discharging its functions.*

(4) *The procedure to be followed by Tribunal in deciding the appeals filed under the provisions of this Act shall be such as may be prescribed.*

(5) *The Tribunal shall have same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of hearing of appeals.*

**35. Inspection of record and supply of certified copies.**-

(1) *Any person having interest in the urban land may be allowed by the Certification Authority to inspect the relevant record of the Certification Authority and upon application being presented before the Certification Authority, such person may be provided certified copies of the record on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed.*

(2) *The Certification Authority shall keep an index of the record for the purpose of enabling the seeker of information in identifying the parcel of land and such index may clearly indicate the arrangement of that information for convenient search.*

**36. Power to remove difficulties.**- (1) *If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion may require, by order do anything, not inconsistent with the object of this Act, which appears to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:*

*Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.*

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made before the House of State Legislature.

**37. Power of the State Government to fix time limit for disposal of matters under this Act by the officer and authorities subordinate to it.-** For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the State Government may fix time limit for the disposal of matters under this Act by the officers and authorities subordinate to it and give such directions to such officers and authorities as it may think fit for the aforesaid purpose and such directions shall have effect notwithstanding anything contained in any other law of the State Legislature for the time being in force.

**38. Recovery of sums due.-** Any sum payable under the provision of this Act shall, if not paid by due date, be recoverable as an arrear of land revenue on a certificate issued by the Certification Authority.

**39. Provisions of Chapter VII-A, Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), not to apply in the areas specified by notification under sub-section (3) of section 1.-** Notwithstanding anything in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), as from the date of issue of a notification under sub-section (3) of section 1 of this Act, the provisions with regard to survey of abadi areas contained in Chapter VII-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall not apply to the urban area of an urban body specified in such notification.

**40. Power to make rules.-** (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or

be of no effect, as the case may be, so however that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

---

### **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Determination of rights in or over land and maintenance of land records including record of rights as also transfer and alienation etc. thereof, in so far as agricultural lands are concerned, are effectively and duly maintained in accordance with the law enacted by the State Legislature but the situation with regard to the urban lands which are governed by various laws in the State, is not the same. The title holders base their title on series of documents of successive transfers and at times person dealing with them are in a dilemma as to the actual state of title of the property and for that the documents of transfers are couched in clumsy and lengthy legal phraseology to safe guard the interest of the transferee serving as an assurance to the transferee. In order to ward off such a situation and to maintain the record of rights of urban lands also in an authentic manner by a single agency and to certify the said titles, the necessity of enacting a law on the subject is being felt as a measure of good governance and to ensure hassle free transaction of urban lands. These may also help in proper assessments of taxes levied on such transaction besides providing clear title to the persons holding the urban lands and premises.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजपाल सिंह शेखावत,  
**Minister Incharge.**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन  
महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (14) विधि/2/2016 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2016  
प्रेषक: राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति विशिष्ट सचिव, राजस्थान  
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

**FINANCIAL MEMORANDUM**

Clauses 4, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 29, 34 and 35 of the Rajasthan Urban Land (Certification of Titles) Bill, 2016, if enacted, shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State which is estimated to the tune of rupees 284.28 lakhs as recurring and rupees 26 lakhs, as non-recurring.

राजपाल सिंह शेखावत,  
**Minister Incharge.**



**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters stated against each such clause :-

<b>Clauses</b>	<b>With respect to</b>
3 (v)	prescribing the manner in which the CLEAR to be established and maintained;
4 (5)	prescribing the manner in which survey is to be conducted;
4 (6)	prescribing the power and duties of additional officer;
8 (2)	prescribing the manner in which lands and premises of urban area or part thereof shall be shown on the map and the indicative survey number to be assigned to every piece of land shall be shown separately;
8 (4)	prescribing the details and other particulars which the Register of surveyed lands shall contain;
13 (1)	prescribing the manner in which the maps, registers and other documents are to be maintained by concerned urban body or other authority or department of the State Government;
13 (2)	prescribing the manner in which and intervals at which the maps and entries in registers shall caused to be revised and corrected;
13 (3)	prescribing the manner in which revision or correction of entries in the register, map and other record shall be carried out;
13 (4)	prescribing the power which shall be exercised by the officer appointed or authorised and the manner in which he shall proceed to revise or correct the

- maps and registers;
- 14 (1) prescribing the rate at which, manner in which, time within which and extent to which survey fee to be paid and limit for survey fee ;
- 14 (2) prescribing the payment of charges for receiving the certified extract from the map and the register;
- 17 (1) prescribing the manner, hours, place, conditions and fee for inspection of maps, registers and documents;
- 17 (2) prescribing the copying fee to be paid for extract of maps, registers and documents;
- 18 generally for proper performance of all things to be done under the Act and carrying out the purposes and provisions thereof;
- 21 (1) prescribing the form and manner in which Urban Land Titles Certification Authority receiving applications, scrutinizing the documents, verifying from relevant official records including the records kept by the local urban bodies and issuing of certificate of title;
- 22 (1) prescribing the manner and time within which application for issuance of certificate of title to be made;
- 22 (2) prescribing the documents of title and fee to be accompanied with the application for issuance of certificate of title to be made;
- 25 (1) prescribing the manner in which the data to be entered in CLEAR;
- 25 (2) (ii) prescribing the authorities from whom and matters pertaining to which no dues certificates shall be required to be produced;
- 25 (3) prescribing the amount of certification cum guarantee charge to be refunded after deducting the administrative expenses therefrom ;
- 25(6) prescribing the form in which the Provisional and Permanent Certificate of Title shall be

- issued;
- 26 (1) and (2) prescribing the manner in which the title holder shall, inform the change in the title of the title holder and, also record the change in the certificate of title;
- 28(3) prescribing the other administrative expenses to be incurred by Certification Authority for the purposes of the Act;
- 28(4) regarding regulation of management, accounts and audit of the Fund;
- 29 prescribing the loss to the extent as they are attributable to the defect and the manner in which the person is entitled to be compensated;
- 33 prescribing the manner and form in which appeal shall be filed and the fees and documents to be accompanied with it and also the manner in which appeal shall be heard and disposed of;
- 34(4) prescribing the procedure, to be followed by the Tribunal, in deciding appeals;
- 35(1) prescribing the payment of fee and the conditions subject to which the certified copies of the record are to be provided; and
- 40(1) generally for carrying out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

राजपाल सिंह शेखावत,  
**Minister Incharge.**

2016 का विधेयक सं.9

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

**राजस्थान विधान सभा**

---

नगरीय भूमियों का सर्वेक्षण करने और अभिलेख संधारित करने और उनके हक का प्रमाणन करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
विशिष्ट सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 9 of 2016**

**THE RAJASTHAN URBAN LAND (CERTIFICATION OF  
TITLES) BILL, 2016**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*to provide for survey and maintenance of record of urban lands and certification of titles thereof and matters connected therewith and incidental thereto.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**PRITHVI RAJ,  
Special Secretary.**

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)